(47)

# डाकेट

# लोक अदालत

स्थान – अंबागढ़ चौकी　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक – 13.07.2024

न्यायालय का नाम :–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला मोहला,मानपुर,अंबागढ़ चौकी, सिविल जिला– राजनांदगांव छ0ग0

न्यायालय का अपराधिक प्रकरण कमांक :– **932/2023**

................................**छत्तीसगढ शासन**.............................................................( ) वादी

संदीप सिन्हा आ0 मालिक राम सिन्हा, उम्र 30 वर्ष, ..............................................( ) प्रार्थी/आहत

सा0 भनसुला थाना अंबागढ़ चौकी, जिला मोहला मानपुर अं0चौकी (छ.ग.)

**विरूद्ध**

ढालसिंग सिन्हा, आ0 मालिक राम सिन्हा, उम्र 27 वर्ष..............................................( ) आरोपी

सा0 भनसुला, थाना अंबागढ़ चौकी, जिला मोहला मानपुर अं0चौकी (छ.ग.)

**प्रकरण का संक्षिप्त विवरण** :– घटना दिनांक **16.07.2023** को **21.00** बजे, स्थान – **ग्राम भनसुला** में, आरोपी **ढालसिंग सिन्हा** ने, प्रार्थी **संदीप सिन्हा** को, सार्वजनिक स्थान पर, अश्लील गॉलियॉ देते हुए, जान से मारने की धमकी देकर हाथ मुक्का से मारपीट किया, तब प्रार्थी द्वारा, थाना **अंबागढ़ चौकी** में आरोपी के विरूद्व रिर्पोट दर्ज कराया गया, पश्चात् थाना – **अंबागढ़ चौकी** द्वारा प्रकरण की संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्व अभियोग–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

**निष्कर्ष** :– प्रार्थी एवं आरोपी के मध्य, स्वेच्छापूर्वक, आपसी राजीनामा किये जाने के फलस्वरूप एवं उनके मध्य मधुर संबंध स्थापित होने के कारण, आरोपी को आपसी राजीनामा के आधार पर धारा – **294, 506 भाग 02, 323** भा0द0सं0 के, आरोप से दोषमुक्त किया गया। आरोपी के जमानत मुचलकें निरस्त कर, उन्हें स्वतंत्र किया गया।

प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति **कुछ नही**।
उभयपक्ष को आदेश की निःशुल्क प्रति प्रदान की जावें।
प्रकरण पंजी से निरस्त कर, आवश्यक कार्यवाही उपरांत, अभिलेखागार, भेजा जावें।

प्रार्थी ...संदीप...

**पक्षकार के हस्ताक्षर**

आरोपी ...ढालसिंग सिन्हा...

13.7.24

सदस्य
लोक अदालत
**सुलहकर्ता के हस्ताक्षर**
व्यवहार न्यायालय, अंबागढ़ चौकी (छ.ग.)

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
**पीठासीन अधिकारी**
व्यवहार न्यायालय, अंबागढ़ चौकी (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner